*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–04/जल–जीवन–02–11/2026 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर परिषद्, लखीसराय में जल–जीवन–हरियाली मिशन अन्तर्गत तालाब/पोखर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में अवशेष कुल राशि ₹131.81573 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख ईक्यासी हजार पाँच सौ तिहतर रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेश सं०–336, दिनांक–19.02.2025 द्वारा नगर परिषद्, **लखीसराय** क्षेत्रान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली मिशन अन्तर्गत तालाब/पोखर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल ₹263.49160 लाख (दो करोड़ तिरेसठ लाख उनचास हजार एक सौ साठ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। उक्त राज्यादेश द्वारा उपरोक्त योजना हेतु तत्काल वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि ₹79.00 लाख (उन्यासी लाख रू०) मात्र आवंटित की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय का पत्रांक–1761 दिनांक–16.07.2026 द्वारा अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, लखीसराय में निम्न तालिका के स्तम्भ–5 में अंकित राशि ₹210.85573 लाख (दो करोड़ दस लाख पचासी हजार पाँच सौ तिहतर रू०) मात्र की एकरारनामा राशि के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्तम्भ–07 में अंकित अवशेष राशि ₹131.81573 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख ईक्यासी हजार पाँच सौ तिहतर रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

					(राशि लाख रू० में)	
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	नगर परिषद्, लखीसराय क्षेत्रान्तर्गत संसार पोखर/तालबा का जीर्णोद्धार, पथ एवं छठ घाट का निर्माण हेतु।	263.49160	210.81573	79.00	131.81573
		कुल योग	**263.49160**	**210.81573**	**79.00**	**131.81573**

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹131.81573 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख ईक्यासी हजार पाँच सौ तिहतर रू०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर***

सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, लखीसराय के PL खाता सं०– LKSPLA006, HOA संख्या– 00-8448-00-102-0002-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

5. उक्त स्वीकृत कुल ₹131.81573 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख ईक्यासी हजार पाँच सौ तिहतर रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष– 0103–जल–जीवन–हरियाली, विपत्र कोड–**48-2215011920103,** विषय शीर्ष– 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार **सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।** राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या (e-file) –ज0जी0ह/34/2026-SEC_4-UDHD DEPT के Note#10 पर दिनांक–09.10.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#17 पर दिनांक–27.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/जल–जीवन–02–11/2026 ~~224~~ 224 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/10/26

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 04 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।